विषय–तथ्यात्मक रिपोर्ट मु०न० 287/2025 धारा–318 (4) 112(2).61(2) बीएनएस 3.5.21.23 अनियमित जमा योजना प्रतिबंध अधिनियम 2019 व 3.4 इनामी चिट फंड और धन परिचालन स्कीम (पाबंदी) अधिनियम 1978 दिनांक 01.12.25 थाना अटलबन्द भरतपुर के सम्बंध में।

प्रसंग– श्रीमान के आदेश पत्र 83 दिनांक18.09.2026 की पालना में।

प्रगति रिपोर्ट

1. **अभियाग संख्या मय दिनांक व नाम थाना**–287/2025 दिनांक 01.12.25 थाना अटलबंद भरतपुर
2. **कायमी धारा** – 318(4), 112 (2).61 (2) बीएनएस. 3,5.21.23 ,अनियमित जमा योजना प्रतिबंध अधिनियम 2019 व 3.4 इनामी चिट फंड और धन परिचालन स्कीम (पाबंदी) अधिनियम 1978
3. **मुस्तगीस का नाम पता** – श्री सुनील कुमार शर्मा पुत्र श्री कलुआ राम शर्मा जाति ब्राहमण उम्र 43 साल निवासी सरसेना थाना हलेना हाल गली नम्बर 7 तिलक नगर भरतपुर (राज)
4. **प्रथम सूचना रिपोर्ट का सारांष**– वाक्यात मुकदमा हाजा इस प्रकार से है कि दिनांक 01.12.25 को श्री सुनील कुमार शर्मा पुत्र श्री कलुआ राम शमां जाति ब्राहमण उम्र 43 साल निवासी सररसेना थाना हलेना हाल गली नम्बर 7 तिलक नगर भरतपुर (राज) ने उपस्थित थाना होकर एक रिपोर्ट तहरीरी इस आशय के पेश की कि सेवा में श्रीमान थाना अधिकारी महोदय पुलिस थाना अटलबंद भरतपुर विषय •चव.तन कम्पनी द्वारा धोखाधडी से निवेष के नाम पर राषि हडपने (फोड) के सम्बध में महोदय उपरोक्त विषय में निवेदन है कि सोषल मीडिया पर •चव.तन नामक एक बबसाईट है जिससे उच्च लाभ एव बोनस का आश्वासन देकर राषी निवेष करवाने को प्रतीसहीत किया जाता है उक्त •चव.तन के संचालक कर्ता धर्ता रजत शर्मा ईश्वर वर्मा मगलेश कुमार विजय मौर्य संदीप शिखर सुरेन्द्र सैनी शारूख खान आदि है। जिन्होंने गरीब एव रूचन व्यक्ति लोगों से राषी हडपने की मंषा से जिला भरतपुर राजस्थान में ऐजेन्ट नियुक्त कर रखे है। जिनमे मुख्य अतुल शर्मा है। इनके द्वारा धोखाधडी से अधिक प्रोत्सान देने एवं अधिक व्यक्तियों को जोडने पर चेन बनाकर अधिक 2 राषी एकत्रित करने कके लिए एवं कम्पनी को रजिस्ट्रड होने का झांसा देकर बेईमानी पूर्ण धोखाधड़ी से विनेष के नाम पर मुजसे 1530000 रुपये (पन्द्रह लाख तीस हजार रूपये) रूपये इन्होन निदेष के नाम पर प्राप्त किये है। यह घटना दिनांक 201125 की है। अत मेरे द्वारा दी गई उक्त राषी दी गई है। अत श्रीमान जी से निवेदन है कि उक्त लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर और कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करे। मजमून रिपोर्ट व मजीद दर्यापत से मामला अपराध धारा 3.5.21.23 अनियमित जमा योजना प्रतिबंध अधि० 2019 व 3.4 ईनामी चिटफंड और धन परिचलन स्कीम पाबन्दी अधि० 1978 व धारा 318 (4) 112(2).61(2) बीएनएस के बक में आना पाया जाने पर धारा उपरोक्त में प्रकरण दर्ज कर मन एसएको हेमेन्द्र चौधरी मषरूफ तफतीश हुआ।
5. **अनुसंधान का पूर्ण ब्यौरा**– दौराने अनुसंधान मन आईओ द्वारा प्रकरण की मुस्तगीसा श्री सुनील कुमार शर्मा पुत्र श्री कलुआ राम शर्मा जाति ब्राहमण उम्र 43 साल निवासी सरसेना थाना हलेना हाल गली नम्बर 7 तिलक नगर भरतपुर (राज) के विस्तृत बयान हस्य दफा 180 बीएनएसएस में लेखबद्ध किये जाकर शामिल पत्रावली किये गये। प्रकरण हाजा के संबंध में थाना मथुरामेट पर मुकदमा नम्बर 703/25 की एफआईआर प्रति प्राप्त कर शामिल पत्रावली की गई। उक्त एफआईआर का अवलोकन किया गया तो पाया गया कि प्रकरण में नामजद आरोपीगण रजत शर्मा, ईश्वर वर्मा, मगलेश कुमार विजय मौर्य संदीप शिखर, सुरेन्द्र सैनी शारुख खान के द्वारा लोगों धोखे में रखकर बोनस का लालच देकर आपस में संगठित गिरोह बनाकर रूपये पैसों को इन्वेस्ट करवा रहे हैं और धन संग्रह कर रहे है। व नोट अंकित किया है कि एप्लीकेशन XPO-ru एप्लीकेशन/मोवाईल एप ना तो भारत में SEBI/RBI/MCA या किसी भी सक्ष्म प्राधिकरण के अन्तर्गत पंजीकृत है और नाही किसी विनियमित जमा योजना (Regulated Deposit Scheme) के अन्तर्गत जनता से धन संग्रह कर रंही है और धोखाधड़ी कर राशि हडप रही है। प्रकरण हाजा में अनुसंधान जारी है। तत्पश्चात प्रकरण की पत्रावली अग्रिम अनुसंधान हेतु उच्चाधिकारियो के आदेश पर आदेश सं–9(9) अप/अन्धे/भरत /2025/720–34 दिनांक 11.06.2026 के द्वारा प्रकरण हाजा की पत्रावली अनुसन्धान अधिकारी सुश्री प्रियंका अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अलवर को भेजी गई। श्रीमान महानिदेशक पुलिस साईबर काईम एवं तकनिकी सेवायें राजस्थान जयपुर के कार्यालय आदेश पत्र कमांक 21783 दिनांक 31.07.2026 एवं श्रीमान अतिरिक्त महानिदेश पुलिस साईबर काईम एवं तकनिकी सेवाये राजस्थान जयपुर का मू०नोट० कमांक 21644 दिनांक 29.07.2026 के सन्दर्भित प्रकरण संख्या 703/2025 पुलिस थाना मथुरा गेट जिला भरतपुर में दर्ज किया गया है जिसका अनुसन्धान अधिकारी सुश्री प्रियंका अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अलवर को भेजी गई माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की उक्त प्रकरण पर टिप्पणी (ऐसे प्रकरणों में जहाँ 3100 करोड रुपये निवेश हुये ओर 2100 करोड रुपये धोखाधड़ी कर प्रापत किये गये हों. में शीघ्र एवं निष्पक्ष अनुसन्धान हेतु पुलिस महानिदेश राजस्थान एवं गृह सचिव राजस्थान सरकार का ध्यानाकर्षण किया है) के फलस्वरुप उक्त प्रकरण की गम्भीरता को देखते हुये व तत्काल

प्रमाणित फोटो कॉपी
मु० न० 287/25
थाना मथुरा गेट
का पेशी/फैसला

निष्पक्ष अनुसन्धान हेतु श्रीमान महानिदेश पुलिस राजस्थान जयपुर द्वारा प्रकरण का अनुसन्धान पुलिस अधीक्षक साईबर काईम श्री सुमित मेहरडा के निकट सुपरविजन में साईबर काईम की एसआईटी द्वारा इस गिरोह के जिला भरतपुर में दर्ज प्रकरणों का अग्रिम अनुसन्धान हेतु मन आई/ओ उपअधीक्षक पुलिस साईबर को दिंनाक 16.09.2026 को प्राप्त हुई है प्रकरण हाजा की पत्रावली का अवलोकन किया गया अनुसंधान जारी है।

थानाधिकारी
पुलिस थाना साईबर
जिला भरतपुर

2/1

B.L.शर्मा Ad

1. प्रार्थना पत्र क्रमांक 13779
2. प्रार्थना पत्र दिनांक 12-10-26
3. पृष्ठों की संख्या 2
4. प्रतिलिपि शुल्क स्टाम्प 3.00
   अदा हुआ 2.80
   SK
5. फोटो ... तिथि 13-10-26
6. प्रति... तिथि 14-10-26
7. प्रति... तिथि 14-10-26
8. प्रार्थी ... देने की तिथि 14-10-26
9. प्रतिलिपि जारी होने की तिथि 14-10-26

9954

Copying ... किया गया

Verified ... किया गया